



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
सिविल लाइन्स, बदायूं।



पत्र सं०—

/सं०प्र० बदायूं/
प्रदेशन—पत्र

दिनांक

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कु०

निवासी—.....

मो०नं०—.....

E-mail ID:

महोदय / महोदया,

परिषद की सिविल लाइन्स यो०सं०-2 (भाग-2) बदायूं में स्थित भूखण्ड सं०-..... हेतु दिनांक को सम्पन्न हुई ई-नीलामी में आप द्वारा भूखण्ड सं०-..... हेतु भाग लिया गया था। आप द्वारा उच्चतम बोली/बिड रू० प्र०व०मी० बोली गयी है, को उप आवास आयुक्त (म०) (बरेली जोन) बरेली के कार्यालय पत्रांक-...../बरेली जोन/दि० द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है। भूखण्ड सं०-..... का आवंटन आपके पक्ष में परिषद द्वारा निर्धारित आवासीय ई-नीलामी की सामान्य नियम व शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है जिसके विरुद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है।

अ.

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल - वर्ग मी०
2. भूखण्ड की उच्चतम बोली/बिड फ्री होल्ड सहित - रू०
3. भूखण्ड का कुल मूल्य फ्री होल्ड सहित - रू०
4. जमा टोकन मनी (-) - रू०

नकद पर भूखण्ड का मूल्य (टोकन धनराशि समायोजित करते हुए) - रू०

ब. भुगतान का विकल्प किशतों पर

1. कुल मूल्य का 50% जमा एक मुश्त धनराशि पूर्व में जमा टोकन धनराशि समायोजन करने के उपरान्त दि० तक जमा की जानी है। - रू०
2. रू० के पूर्णांक में देय धनराशि - रू० -
3. अवशेष मूल्य रू० पर 8.95 प्रतिशत ब्याज सहित बनायी गयी 8 त्रैमासिक किशतें जो कि दिनांक से देय होगी। प्रत्येक किशत की धनराशि - रू०
4. दिनांक तक जमा योग्य धनराशि (इंडसंड बैंक, इन्दिरा चौक, बदायूं में परिषद खाते में जमा की जानी है।) - रू०

स. विविध शुल्क—

1. साइट प्लान शुल्क - रू०
 2. अनुबन्ध शुल्क - रू०
 3. विज्ञापन शुल्क - रू०
 4. विलेख निष्पादन शुल्क - रू०
 5. अग्रिम जल शुल्क (तीन माह हेतु) - रू०
 6. जल संयोजन शुल्क/मल संयोजन शुल्क - रू०
 7. कुल देय विविध शुल्क - रू०
 8. विविध शुल्क पर जी०एस०टी० - रू०
- विविध शुल्क की जमा योग्य धनराशि (इंडसंड बैंक, इन्दिरा चौक, बदायूं में परिषद खाते में जमा की जानी है।) - रू०
- दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि (ब+स) - रू०

क्रमशः.....2

नोट:-

- (1) आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्की की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- (2) न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन हुआ तो तदनुसार भुगतान करना होगा।
- (3) भूखण्ड पर कब्जा दिये जाने के बाद निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिवर्तन लागू होंगे।
- (5) आप द्वारा प्रस्तुत जाति व अन्य प्रमाण-पत्र में कभी भी जाँच/सत्यापन के उपरान्त असत्य पाये जाने पर भवन/भूखण्ड निरस्त कर जमा पंजीकरण धनराशि एवं ब्याज जब्त करके कब्जा वापस ले लिया जायेगा तथा वैदयानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (6) भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि से 36 माह में प्रदान करेगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2022 को एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर MCLR प्रतिशत के अनुसार 7.95 प्रतिशत+1 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्ट न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये Force Majeure की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (7) ई-नीलामी/आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र पर अंकित निर्धारित तिथि के अंदर संपत्ति कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री/अनुबन्ध करार निष्पादित कराकर पंजीकृत कराना होगा।
- (8) बिक्री/अनुबन्ध करार निष्पादन के पश्चात कब्जा पत्र निर्गत होगा। प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवंटी को अपने मूल दस्तावेजों को संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि उनका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जा सके।
- (9) आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (10) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 10.95 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- (11) प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक विलम्ब अवधि में नियमानुसार रखरखाव शुल्क ₹0 50.00 प्रतिदिन देय होगा।
- (12) भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि होने की दशा में, तदनुसार धनराशि देय होगी।
- (13) प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में, बैंक में अवकाश होने की स्थिति में, बैंक के आगामी कार्य दिवस तक किश्त की धनराशि अथवा पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में, विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- (14) यदि आपके द्वारा पूर्व में आरक्षण का लाभ लिया गया है, के तथ्य को छिपाया गया है, पुष्टि/जाँच के उपरान्त तथ्य प्रकाश में आता है तो आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड का पंजीयन/आवंटन हेतु जमा की गई पंजीकरण/टोकन धनराशि को जब्त करते हुये निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- (15) यदि कोई ई-नीलामी में सफल आवेदक चयन होने के बाद निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त कराने का आवेदन करता है तो समस्त पंजीकरण/टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (16) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (17) आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194-1ए के अनुसार ₹0 50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराशि पर 1(एक) प्रतिशत आयकर के रूप में काटकर परिषद के पैर नं0- AAAJU0103A पर आपको जमा करना होगा। विलम्ब की दशा में आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी।
- (18) आवेदक द्वारा देय धनराशि इंडसइंड बैंक के URL <https://induscollect.indusind.com/pay/index.php> से नियमानुसार जमा की जायेगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में मुख्य शाखा प्रबन्धक श्री आयुष सक्सेना मो0नं0-7355449745 Emailld: ayush.saxena@indusind.com से सूचित अवश्यक करेंगे।
- (19) किश्त की धनराशि का भुगतान करने के लिए चालान जनरेट किया जायेगा।
- (20) आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर भूखण्ड के कुल मूल्य का भुगतान जो क्रमांक-अ के 2 पर अंकित है, करने पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी (डाक से देरी पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा)।

भूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है।

भूखण्ड का विक्रय विलेख/कब्जा लेने हेतु दिनांक तक निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करें:-

1. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
2. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
3. बैंक में जमा अध्यावधिक भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत करें।
4. कब्जा लेने हेतु शासनादेशानुसार देय स्टाम्प पेपर तथा रू0 100/- का एक अन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रू0 10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
7. रू0 100/- का स्टाम्प पेपर वाटर मीटर वाण्ड हेतु।

प्रमाणित मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम.....वर्ष निवासी..... निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ:-

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः अंशतः बदायूं नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन के प्रदेहन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष.....को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे/पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल रू0से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम).....घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

दिनांक:

शपथी

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री..... को भली भांति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

सम्पत्ति संख्या-

नमूना हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.

फोटो
चिपकायें

(नोट:- फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम/सुपाठ्य/सील होना आवश्यक है।)